# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

## पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

## ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं

अनुवान बजरंग लाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या –..601..../2025

निर्णय दिनांक ......19/12/25

बजरंग लाल पुत्र रामेस्वर लाल जाति गुसाई निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू।

प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>**

**–::<u>निर्णय</u>::–**

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 438 के खसरा नं. 2559/1548 तादादी 2.4278 हेक्ट., रोही ग्राम सात्यूं तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम बजरंगगिर पुत्र रामेश्वरगिर दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम बजरंग लाल पुत्र रामेस्वर लाल है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम बजरंगगिर पुत्र रामेश्वरगिर के स्थान पर बजरंग लाल पुत्र रामेस्वर लाल किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः खाता संख्या 438 के खसरा नं. 2559/1548 तादादी 2.4278 हेक्ट., रोही ग्राम सात्यूं तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बजरंगगिर पुत्र रामेश्वरगिर Delete कर इसके स्थान पर बजरंग लाल पुत्र रामेस्वर लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....19/12/25.... को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं में लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)